न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 02/2009

जीसीएमएस नं. :: 2019/00239

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, पाली		1. रमेशकुमार पुत्र सोहनराज जैन 23 लोढों का बास, पाली मालिक फर्म 2. फर्म मैसर्स आसू भरतकुमार 28, सोमनाथ मार्ग, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार प्रवर्तन निरीक्षक, पाली
अप्रार्थी की ओर से राजेन्द्र मेवाड़ा

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक : 20/12/21

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत अपीलार्थी के आधिपत्य से बिना लाईसेंस 62.31 क्विंटल चीनी की राशि राज्यसात करने के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2016 को अपास्त कर माननीय सेशन न्यायाधीश, पाली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने पर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :– दिनांक 18.06.2009 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा पाली शहर में स्थित मैसर्स आसूजी भरतकुमार, 28 सोमनाथ मार्ग व 8 कृषि उपज मंडी समिति, पाली का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म का चीनी का व्यापार करना पाया गया। फर्म का लाईसेंस दिनांक 31.03.1999 तक वैध था। बाद में नवीनीकरण नहीं हुआ था। चीनी का स्टॉक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक पाया गया। अपीलार्थी के आधिपत्य से 72.31 क्विंटल चीनी जब्त कर उसे राज्यसात करने हेतु धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिला कलक्टर के समक्ष दिनांक 19.06.2009 को आवेदन पेश किया गया जिस पर बाद सुनवाई जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 01.07.2010 को आदेश पारित कर जब्तसुदा चीनी में से 62.31 क्विंटल चीनी राज्यसात करने का आदेश दिया गया। मुताबिक आदेश, अप्रार्थी फर्म 10 क्विंटल चीनी रख सकता है जबकि उसने निर्धारित सीमा से अधिक 72.31 क्विंटल का स्टॉक रखा है। न्यायालय आदेश दिनांक 05.11.2009 द्वारा जब्तसुदा चीनी 72.31 क्विंटल का अंतरिम निस्तारण जरिये नीलाम कर प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करवा दी गयी थी जिसमें से 10 क्विंटल चीनी की राशि अप्रार्थी फर्म को लौटाने का आदेश देते हुए 62.31 क्विंटल चीनी की नीलामी से प्राप्त राशि राज्य कोष में आय मद में जमा कराने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध रमेश कुमार द्वारा माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, पाली के समक्ष अपील पेश की गई जो दांडिक अपील संख्या 56/10 दर्ज होकर दिनांक 16.06.2011 को अपील खारिज की गयी एवं इस न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया। तत्पश्चात् उक्त आदेश के विरूद्ध रमेशकुमार ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस बी क्रिमीनल रिवीजन पिटीशन नंबर 944/20111 पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.7.2016 को आदेश पारित कर माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, पाली के आदेश को एवं इस न्यायालय के आदेश को भी आपस्त करते हुए मामला इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि निगरानीकार द्वारा आवे[illegible] वस्तु अधिनियम पेश करने पर आवेदन की तिथि से एक माह के भीत[illegible] पर विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। माननीय उच्च [illegible] कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार [illegible]धिक प्रकरण दर्ज नही[illegible] जाने से जब्त सुदा चीनी की नीलामी की राशि मय [illegible]ाज लौटाये जाने के सं[illegible]विधि सम्मत आदेश पारित करना अपेक्षित था। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना

क्रमश पृष्ठ :: 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:41:06 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अपने आदेश के अनुरूप ही दिनांक 28.11.2016 को आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी रमेश कुमार पुनः अपील माननीय सेशन न्यायालय में पेश की गई। माननीय सेशन न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि जिला कलक्टर ने यह माना है कि रमेश कुमार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं करवाया है तो इसके लिए इस न्यायालय को राज्यसात करने की प्रदत शक्तियों पर किसी भी तरह का विपरीत प्रभाव धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में नहीं है। इस आधार पर जब्तसुदा माल को रिलीज किया जाना भी राज्य सरकार के आदेश के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराया जाने से जब्तसुदा शक्कर की राशि मय ब्याज लौटाने के संबंध में जिला कलक्टर के लिए विधीसम्मत आदेश पारित करना अपेक्षित मानते हुए जिला कलक्टर के आदेश को अपास्त किया था। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए जब्तसुदा शक्कर की निलामी की सम्पूर्ण राशि लौटाने का आदेश पारित करना आवश्यक था एवं अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8.11.2016 को अपास्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में माननीय सेशन न्यायालय पाली के आदेशानुसार जब्तसुदा शक्कर की सम्पूर्ण निलामी राशि मय ब्याज लौटाई जाने के आदेश पारित किये जाने है।

परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ फौजदारी निगरानी याचिका संख्या 944/2011 बअनवान रमेश कुमार बनाम राज्य सरकार निर्णय दिनांक 27.7.2016 एवं माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा दांडिक अपील संख्या 06/2017 बअनवान रमेशकुमार बनाम सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.7.2019 की पालना में अप्रार्थी रमेश कुमार से जब्तसुदा चीनी 72.31 क्विंटल के अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:41:06 IST
Reason: SelfAttested